उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
(उत्तराखंड कैम्पा)

वन मुख्यालय, 85 राजपुर रोड़, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in www.www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 190 / 3–3(5) / 18–19 दिनांक, 8/6 मई, 2018

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण,
उत्तराखण्ड कैम्पा

विषय :– वार्षिक कार्ययोजना 2018–19 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2018–19 के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 की अवशेष धनराशि में से एन.पी.वी. मद में **वर्षाजल संग्रहण** के विभिन्न उपमदों में संलग्न तालिका अनुसार संबंधित प्रभागों को प्रथम किस्त के रूप में **रू0 513.00 लाख** की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। कृपया तद्नुसार नियमानुसार आवंटित धनराशि का उपयोग करते हुए कार्यों का स्थलवार सूची व जी0पी0एस0 रीडिंग आदि का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा पूर्ण किए गए कार्यों की MIS प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें। तद्नुसार धनराशि के उपयोग तथा उक्तानुसार वांछित सूचनाएं प्राप्त होने की दशा में उक्त की द्वितीय किस्त जारी किए जाने पर विचार किया जाएगा।

उक्त धनराशि का उपयोग निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन रहेगा।

<u>नियम एवं शर्तें:–</u>

1. **प्राविधानित धनराशि को अंतिम बजट न माना जाए। भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित करायें जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यो हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।**
2. **अवमुक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार उपरोक्त स्वीकृत कैम्पा मदों में ही किया जाय। स्वीकृत मदों से भिन्न मदों में धनराशि का व्यय न की जाय।**
3. **जिन कार्यो के संपादन हेतु डी0पी0आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी0पी0आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी0पी0आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।**
4. अवमुक्त धनराशि एवं लक्ष्यों का प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना / प्रबंध योजना, कैम्पा की गाईडलाइन, भारत सरकार से जारी दिशा–निर्देशों एवं उच्च स्तरों से समय–समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, शत् प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाय।
5. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम) आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. **उत्त्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत किये जाने वाले ₹ 2000 से अधिक धनराशि के भुगतान वर्तमान प्रचलित दिशा–निर्देशों / शासनादेशों एवं संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी / सक्षम स्तर द्वारा चैक / RTGS / डिजिटल माध्यम से ही किया जाय।**
8. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यो की मात्रा को छोटे–छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
9. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रस्तावित अथवा कराए न गए हों।
10. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।

11. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
12. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
13. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई–ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
14. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
15. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
16. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
17. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
18. उपरोक्त कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय इस कार्यालय को सूचित किया जाय।
19. कार्यो का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
20. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
21. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
22. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।
23. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक क्लासीफाइड लेखा प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि

8/6/18

(डॉ0 समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांकः– 190 /3–3(5)/2018–19 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख वन संरक्षक, (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, एवं कुमांऊ जोन।
5. समस्त वन संरक्षक/ निदेशक उत्तराखण्ड।

8/6/18

(डॉ0 समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना के अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण संबंधी कार्यों हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन

धनराशि लाख रू0 में

क्रम संख्या	प्रभाग का नाम	जलकुण्ड 250 घ0मी0 (250000 ली0) क्षमता @ ₹ 100000		अवमुक्त धनराशि	जलकुण्ड 100 घ0मी0 (100000 ली0) क्षमता @ ₹ 50000		अवमुक्त धनराशि	जलकुण्ड 50 घ0मी0 (50000 ली0) क्षमता @ ₹ 30000		अवमुक्त धनराशि	जलकुण्ड 20 घ0मी0 (20000 ली0) क्षमता @ ₹ 20000		अवमुक्त धनराशि	चाल–खाल/धारा नौला विकास/जीर्णोद्धार		अवमुक्त धनराशि	चेक डेम निर्माण		अवमुक्त धनराशि	वन्यजीवों हेतु पूर्व निर्मित जलकुण्डों का रखरखाव		अवमुक्त धनराशि	कन्टूर ट्रेन्च 3मी0×45सेमी0×30 सेमी0 / रू0 10000 प्रति हे0		अवमुक्त धनराशि	कुल धनराशि	योग अवमुक्त धनराशि
		संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि		हे0	धनराशि			
	Kumun Zone																										
	NORTH KUMAON CIRCLE																										
1	ALMORA DIVISION				2	1.00	0.50	15	4.50	2.25	20	4.00	2.00	20	2.00	1.00	50	2.50	1.25			0	60	6.00	3.00	20.00	10.00
2	ALMORA CS DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	15	4.50	2.25	20	4.00	2.00	20	2.00	1.00	50	2.50	1.25			0	60	6.00	3.00	22.00	11.00
3	PITHORAGARH DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	33.00	16.50
4	CHAMPAWAT DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	33.00	16.50
5	BAGESHWAR DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	33.00	16.50
	Total in NORTH KUMAON CIRCL	8	8.00	4.00	10	5.00	2.50	90	27.00	13.50	160	32.00	16.00	160	16.00	8.00	460	23.00	11.50	0	0.00	0.00	300	30.00	15.00	141	70.50
	SOUTH KUMAON CIRCLE																										
6	NAINITAL DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	33.00	16.50
7	RAMNAGAR SC DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	10	3.00	1.50	40	8.00	4.00	20	2.00	1.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	28.00	14.00
8	RANIKHET S DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	10	3.00	1.50	40	8.00	4.00	20	2.00	1.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	28.00	14.00
9	NAINITAL S DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	10	3.00	1.50	40	8.00	4.00	20	2.00	1.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	28.00	14.00
	Total in SOUTH KUMAON CIRCL	8	8.00	4.00	8	4.00	2.00	50	15.00	7.50	160	32.00	16.00	100	10.00	5.00	480	24.00	12.00	0	0.00	0.00	240	24.00	12.00	117	58.50
	total KUMAON	16	16.00	8.00	18	9.00	4.50	140	42.00	21.00	320	64.00	32.00	260	26.00	13.00	940	47.00	23.50	0	0.00	0.00	540	54.00	27.00	258	129.00
	CCF GARHWAL																										
	BHAGIRATHI CIRCLE																										
10	UTTARKASHI S DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	10	3.00	1.50	20	4.00	2.00	20	2.00	1.00	50	2.50	1.25			0	30	3.00	1.50	17.50	8.75
11	UTTARKASHI DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00	12	1.20	0.6	60	6.00	3.00	34.20	17.10
12	TEHRI DAM1 DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	10	3.00	1.50	20	4.00	2.00	20	2.00	1.00	50	2.50	1.25			0	30	3.00	1.50	17.50	8.75
13	TEHRI DAM2 DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	10	3.00	1.50	20	4.00	2.00	20	2.00	1.00	50	2.50	1.25			0	30	3.00	1.50	17.50	8.75
14	NARENDRA NAGAR DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	33.00	16.50
15	TEHRI DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00	10	1.00	0.5	60	6.00	3.00	34.00	17.00
	Total in BHAGIRATHI CIRCLE	12	12.00	6.00	12	6.00	3.00	90	27.00	13.50	180	36.00	18.00	180	18.00	9.00	510	25.50	12.75	22	2.20	1.10	270	27.00	13.50	153.7	76.85
	GARHWAL CIRCLE																										
16	PAURI SC DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	10	3.00	1.50	20	4.00	2.00	20	2.00	1.00	50	2.50	1.25	1	0.10	0.05	30	3.00	1.50	17.60	8.80
17	BADRINATH DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00	10	1.00	0.5	60	6.00	3.00	34.00	17.00
18	GARHWAL DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00	15	1.50	0.75	60	6.00	3.00	34.50	17.25
19	ALAKNANDA S DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	10	3.00	1.50	20	4.00	2.00	20	2.00	1.00	50	2.50	1.25			0	30	3.00	1.50	17.50	8.75
20	RUDRAPRAYAG DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00	15	1.13	0.565	60	6.00	3.00	34.13	17.07
	Total in GARHWAL CIRCLE	10	10.00	5.00	10	5.00	2.50	80	24.00	12.00	160	32.00	16.00	160	16.00	8.00	460	23.00	11.50	41	3.73	1.87	240	24.00	12.00	137.73	68.87
	SHIWALIK CIRCLE																										
21	LANSDOWNE S DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	41	4.10	2.05	120	6.00	3.00	2	0.32	0.16	60	6.00	3.00	33.42	16.71
22	KALSI S DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	15	4.50	2.25	25	5.00	2.50	25	2.50	1.25	75	3.75	1.88	1	0.50	0.25	30	3.00	1.50	22.25	11.12
23	LANSDOWNE DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	60	12.00	6.00	50	5.00	2.50	200	10.00	5.00			0	60	6.00	3.00	42.00	21.00
24	HARIDWAR DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	33.00	16.50
25	DEHRADUN DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	33.00	16.50
	Total in SHIVALIK CIRCLE	10	10.00	5.00	10	5.00	2.50	95	28.50	14.25	205	41.00	20.50	196	19.60	9.80	635	31.75	15.88	3	0.82	0.41	270	27.00	13.50	163.67	81.83
	YAMUNA CIRCLE																										
26	UPPER YAMUNA DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	33.00	16.50
27	CHAKRATA DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00	4	2.00	1	60	6.00	3.00	35.00	17.50
28	MUSSOORIE DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	33.00	16.50
29	TONS DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	33.00	16.50
	Total in YAMUNA CIRCLE	8	8.00	4.00	8	4.00	2.00	80	24.00	12.00	160	32.00	16.00	160	16.00	8.00	480	24.00	12.00	4	2.00	1.00	240	24.00	12.00	134	67.00
	total GARHWAL	40	40.00	20.00	40	20.00	10.00	345	103.50	51.75	705	141.00	70.50	696	69.60	34.80	2085	104.25	52.13	70	8.75	4.38	1020	102.00	51.00	589.1	294.55
	PCCF WILDLIFE																										
	CCF WILDLIFE																										
30	RAJAJI NATIONAL PARK	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0		0.00		27.00	13.50
31	NANDADEVI NATIONAL PARK	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	33.00	16.50
32	KEDARNATH DIVISION	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00	4	0.40	0.2	60	6.00	3.00	33.40	16.70

क्रम संख्या	प्रभाग का नाम	जलकुण्ड 250 घ0मी0 (250000 ली0) क्षमता @ ₹ 100000		अवमुक्त धनराशि	जलकुण्ड 100 घ0मी0 (100000 ली0) क्षमता @ ₹ 50000		अवमुक्त धनराशि	जलकुण्ड 50 घ0मी0 (50000 ली0) क्षमता @ ₹ 30000		अवमुक्त धनराशि	जलकुण्ड 20 घ0मी0 (20000 ली0) क्षमता @ ₹ 20000		अवमुक्त धनराशि	चाल–खाल / धारा नौला विकास / जीर्णोद्धार		अवमुक्त धनराशि	चेक डेम निर्माण		अवमुक्त धनराशि	वन्यजीवों हेतु पूर्व निर्मित जलकुण्डों का रखरखाव		अवमुक्त धनराशि	कन्टूर ट्रेन्च 3ग0ष45ग0ष30 मी0 / रू0 10000 प्रति है0		अवमुक्त धनराशि	कुल धनराशि	योग अवमुक्त धनराशि
		संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि		संख्या	धनराशि		है0	धनराशि			
33	KALAGARH TIGER RESERVE	2	2.00	1.00	2	1.00	0.50	20	6.00	3.00	40	8.00	4.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00	20	10.00	5	60	6.00	3.00	43.00	**21.50**
35	JHILMIL CR		0.00			0.00			0.00		10	2.00	1.00	15	1.50	0.75	60	3.00	1.50	4	2.00	1		0.00	0.00	8.50	**4.25**
36	GOWIND WLS		0.00			0.00			0.00		10	2.00	1.00	20	2.00	1.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	16.00	**8.00**
37	GANGOTRI NATIONAL PARK		0.00			0.00			0.00		10	2.00	1.00	40	4.00	2.00	120	6.00	3.00			0	60	6.00	3.00	18.00	**9.00**
	Total WILDLIFE	8	8.00	4.00	8	4.00	2.00	80	24.00	12.00	190	38.00	19.00	235	23.50	11.75	780	39.00	19.50	28	12.40	6.20	300	30.00	15.00	178.9	**89.45**
	Grand Total	64	64.00	32.00	66	33.00	16.50	565	169.50	84.75	1215	243.00	121.50	1191	119.10	59.55	3805	190.25	95.13	98	21.15	10.58	1860	186.00	93.00	1026	**513.00**